राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 59/प्रा0पत्र/2019 दायरा दिनांक :–31.05.2019

GCMS ID–2019/00070

उनवान

1. रूपा देवी पत्नी नन्दलाल जाति मीणा निवासी लुहारीकंला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
2. मीना कुमारी पत्नी राजेश जाति मीणा निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेश आ0 खाना जाति रेगर निवासी ब्राहमणों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मुकेश आ0 खाना जाति रेगर निवासी ब्राहमणों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. झमकू पत्नी रामकिशन जाति मीणा निवासी ब्राहमणों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रामकिशन आ0 केसरा जाति मीणा निवासी ब्राहम्णों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री विजय माहेश्वरी

वकील अप्रार्थीगण :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

आदेश

दिनांक : 21.04.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम ब्राहम्णों की झूपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 122 की कृषि भूमि खसरा संख्या 560/676 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 591 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा विस्थित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–75 में प्रार्थीगण का उक्त भूमियों में बराबर का हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमिया प्रार्थीगण ने आज से करीब सवा 1 वर्ष भूमियों के मूल खातेदारान से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर भूमियों का कब्जा प्राप्त किया था तभी से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियों पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमियों के उत्तरी पूर्वी ओर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 550, 560 एवं अप्रार्थी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

संख्या 4 के कब्जे की भूमि खसरा संख्या 592 एवं प्रार्थीगण की भूमियों के दक्षिणी पश्चिमी ओर अप्रार्थी संख्या 3 के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 561 व 590 विस्थित है जिन पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थीगण के पडौसी काश्तकार है। प्रार्थीगण ग्राम लुहारीकंला व बडानयागांव गांव की रहने वाली है, इस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 आऐ दिन प्रार्थीगण के हिस्से स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि की सीमा के संबंध में विवाद करते है और प्रार्थीगण की उक्त भूमियों पर हो रही सीमाबन्दी को हटा देते है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त बात का उलाहना अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को देने का हमेशा मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौके पर भूमि की सीमा के संबंध में कभी भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, इस कारण प्रार्थी के हिस्से स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि की पत्थरगढी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीया ने अभी मई 2019 में तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थीगण के हिस्से स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि की पत्थरगढी किऐ जाने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार हिण्डोली ने प्रार्थी को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने की बात कही, इस कारण प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रार्थीया पत्थरगढी की खर्चा राशि वहन करने को तैयार है। न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित प्रार्थीगण स्वामित्व व अधिपत्य की ग्राम ब्राहम्णों की झूपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित भूमि की पत्थरगढी किऐ जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि विवादित भूमियॉ राजस्व रिकॉर्ड में केवल प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। भूमियों पर उसका कब्जा नहीं है। पूर्व खातेदारों का भी विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है व वर्षो पूर्व गांव छोडकर अन्य जगह चले गये प्रार्थीगण द्वारा बिना कब्जे की भूमि खरीदकर विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है। अप्रार्थीगण ने अपने खाते की भूमि के साथ कब्जे की भूमि पर पत्थर का कोट लगा रखा है व कुंआ खुदवाकर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। कब्जे के अभाव में पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली से पत्थरगढी हेतु जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्रांकः–424/राजस्व/25 दिनांकः–17.02.2025 से जॉच रिपोर्ट पेश कर विवादित भूमि प्रार्थीगण मीना कुमारी व रूपा देवी के संयुक्त खाते में दर्ज होना, उक्त भूमि पर खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हीं होना, विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय में वाद दायर नहीं होना, स्थगन नहीं होना एवं विवादित भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं होना अंकित किया गया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान् को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के सहखाते की भूमियॉ है। प्रार्थीगण का उक्त भूमियों में बराबर हिस्सा निहित है। उक्त भूमियॉ प्रार्थीगण ने करीब 1 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर भूमियों पर कब्जा प्राप्त किया था तब से ही प्रार्थीगण उसके हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमियों के समीप ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 550, 560 व खसरा संख्या 592 की भूमि पर अप्रार्थी 4 के कब्जा काश्त की भूमि है व प्रार्थीगण की भूमियों के दक्षिण पश्चिमी ओर अप्रार्थी संख्या 3 के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 561 व 590 स्थित है। जिन पर अप्रार्थी 1 लगायत 4 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि इन्होंने पूर्व खातेदारों से कृषि भूमि क्रय की होगी परन्तु मौके पर इन्होंने कोई कब्जा नहीं लिया है। विवादित भूमियों में इनका व पूर्व खातेदारों का कब्जा काश्त नहीं होकर हमारा ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पत्थरगढी में यदि खातेदार को उसकी भूमि की सीमा का ज्ञान नहीं हो तो सीमाज्ञान बाबत पत्थरगढी के आदेश दिए जाते है, यहॉ तो उनका कब्जा काश्त ही नहीं है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार भी विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। धारा 111 एल0आर0एक्ट0 में केवल सीमा विवाद का निस्तारण किया जाता है। बिना कब्जा के प्रार्थीगण पत्थरगढी नहीं करवा सकते है। वे कब्जा प्राप्त करना चाहे तो बेदखली का दावा पेश करें। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में केवल विवादित भूमि की सीमा को तय किया जा सकता है तथा कब्जा किसी व्यक्ति को कोई अधिकार सृजित नहीं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

करता है। हम केवल हमारी भूमियों की सीमाओं का पता करने हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2072–75 वाके ग्राम ब्राहम्णों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 122 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड सहखातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना–पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 122 के खसरा संख्या 560/676 व 591 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम ब्राहम्णों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446